परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था

(अभ्यास दर्शन, व्यवहारात्मक जनवाद, मानवीय संविधान, आवर्तनशील अर्थशास्त्र से)

परिवार और सभा

परिवार ही मूलत: सभा के रूप में, सभा ही परिवार के रूप में वैभवित होता है। **निर्णय लेने के रूप में सभा कहलाता है। क्रियान्वयन करने के रूप में परिवार कहलाता है।** इस प्रकार परिवार और सभा अविभाज्य होना पाया जाता है।

सभा में संवाद और सर्वसम्मति

- सभा में संवाद अवश्यंभावी है। जिसमें एक दूसरे की मानसिकता, प्रयोजन, फल, परिणाम का बोध होना पाया जाता है। फलस्वरूप हर निर्णय सर्वसम्मति के रूप में सार्थक होना पाया जाता है। सर्वसम्मतियाँ परिवार में ही हो पाती है।

- सभी मुद्दे समझदारी से शुरूआत होते हुए प्रमाणीकरण तक लम्बाई चौड़ाई होना पाया जाता है। मानवत्व सहज समझदारी का मूल रूप सहअस्तित्व है, प्रमाणीकरण का स्वरूप सहअस्तित्व है। इस प्रकार से प्रमाणीकरण और समझदारी की वस्तु एक ही हुई। इसी बीच सभी कड़ियाँ जुड़ी हुई है। इन सभी कड़ियों में सहअस्तित्व की खुशबू बहती ही रहती है। इसमें कोई अलग विशेष प्रयास का स्थान भी नहीं है। स्वभाव गति में सहअस्तित्व की धारा प्रमाण तक अर्थात मानव द्वारा प्रमाण तक और मानव द्वारा किया गया प्रमाण अस्तित्व रूपी सहअस्तित्व तक जुड़ा ही रहता है। यही अनुभव की महिमा है। ऐसे अनुभव की निरन्तरता रहना स्वाभाविक है।

- इसलिए मानव परम्परा में अनुभवमूलक विधि, व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, उत्पादन, विनिमय, स्वास्थ्य संयम इन सभी कार्यों में सहअस्तित्व का नजरिया स्पष्ट होता ही रहता है। यही मानव कुल का परम वैभव है। यही स्वराज्य और स्वतंत्रता की महिमा है। इस पहलू पर जो मुद्दा है स्वराज्य और स्वतंत्रता को प्रमाणित करना है या नहीं, यह संवाद का मुद्दा हो सकता है। इसे मानव कुल निरीक्षण परीक्षण करेगा ही।

- लाभ-हानि मुक्त विनिमय प्रणाली प्रत्येक परिवार में, से, के लिये शांति कारक सूत्र होना देखा गया।
- मानव सम्बन्धों में निरंतर मूल्यों का अनुभव कर सकता है। इसे सफल बनाने का कार्य-विचार-व्यवहार विधि को अनदेखी करते हुए यह मानना कि बैर विहीन परिवार नहीं हो सकता और बैर रहेगा ही, दुख रहेगा ही इन्हें सत्य कहकर अपने भ्रम को दूर-दूर तक फैलाना है।

- ❖ हर परिवार मानव समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व पूर्वक परिवार परंपरा को निर्वाह करने योग्य है, चाहते है और इसे एक-दूसरे के पूरक विधि से निर्वाह करते है, और कर सकते हैं।
- ❖ सब परिवार और प्रौद्योगिकी संस्था में भागीदारी करता हुआ लोगों में द्वेष का ज्यादा-कम का आधार हुआ। अभी तक द्वेष, विरोध, विद्रोह विहीन परिवार परंपरा नहीं बन पाई थी।
- ❖ व्यवहारिक रूप में भ्रम और बन्धन परस्पर मानव के बीच में द्वेष के रूप में, परिवार-परिवार एवं समुदाय-समुदाय के बीच में वैचारिक मतभेद, ईर्ष्या, द्वेष, भय, संघर्ष के रूप में होना देखा गया।
- ❖ कि "समाधि और समाधिस्थ व्यक्ति के आधार पर कोई स्वस्थ परिवार ही नहीं बन पाया है, समाज तो बहुत दूर है। साधनारत व्यक्ति भी साधना काल में परिवार, समाज अथवा व्यवस्था का भागीदार होना संभव नहीं होता।"
- ❖ आदिकाल से अभी तक परस्पर समुदायों में अपना-पराया का दीवाल, प्रत्येक परिवार की परस्परता में अपना-पराया का दीवाल, प्रत्येक व्यक्ति की परस्परता में अपना-पराया का दीवाल बना ही रहता है।
- ❖ परिवार मानव पद में ही मानवीयतापूर्ण आचरण सार्थक हो पाता है। परिवार में न्याय सार्थकता प्रमाणित रहता ही है। इसी आधार पर अर्थात् परिवार मानव ही व्यवस्था मानव होने के आधार पर बंधनमुक्ति के प्रमाण स्पष्ट हो जाते है।
- ❖ परिवार मानव विधि से हर काल, हर परिस्थिति में (मानवीयता पूर्ण परिस्थिति मे) न्याय प्रदायी योग्यता और क्षमता को प्रमाणित करना सहज है। यही प्रधान रूप में मुक्ति का प्रमाण है। ऐसी परिवार मानव के रूप में जीने की सम्पूर्ण चित्रण स्वयं में समाज रचना का चित्रण है।
- ❖ स्वराज्य व्यवस्था ही होता है, शासन नहीं होता। व्यवस्था के संदर्भ में पहले से उसके स्वरूप को स्पष्ट किया जा चुका है।
- ❖ परिवार मानव विधि से ही स्वराज्य वैभव का उदय होना देखा जाता है।
- ❖ हर परिवार में शरीर यात्रा के लिए 1. **शरीर पोषण, 2. संरक्षण एवं 3. समाज गति** के लिये आवश्यकीय वस्तुओं को उत्पादित करने का भी कार्यकलाप समाया रहता है।
- ❖ सम्बन्ध-मूल्य-मूल्यांकन-उभयतृप्ति अथवा परस्पर तृप्ति विधि से व्यवहार और आचरण को प्रकट करना मूलत: परिवार का तात्पर्य है।
- ❖ ऐसे परिवार में उक्त तीनों प्रकार की आवश्यकताएँ बनी ही रहती है। इसके निर्वाह क्रम में उत्पादन कार्य की आवश्यकता बना ही रहता है। इसका तात्पर्य यह हुआ परिवार गति और समाज गति के लिए उत्पादन कार्य भी एक आवश्यकीय तत्व है।
- ❖ अस्तु, सम्बंध-मूल्य-मूल्यांकन और उभय तृप्ति विधि से परिवार और समाज सूत्र और आवश्यकता से अधिक उत्पादन-कार्य में परिवार के हर सदस्य का उपयोगिता-पूरकता विधि से भागीदारी परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था के सूत्र में प्रमाणित हो पाता है। इसीलिये
- ❖ प्रत्येक परिवार में, से, के लिए न्याय सुलभता, उत्पादन सुलभता, विनिमय सुलभता, स्वास्थ्य-संयम सुलभता नित्य सार्थक होना सहज है। जिसका स्रोत रूप में मानवीयतापूर्ण शिक्षा-संस्कार और स्वास्थ्य-संयम कार्यकलापों के रूप में होना पाया जाता है।
- ❖ इस प्रकार व्यवस्था सार्वभौमता के दिशा में प्रशस्त होता है और अखण्ड समाज का सूत्र भी नित्य प्रभावी होना पाया जाता है। इसमें मूलसूत्र सह-अस्तित्व सूत्र ही है। यह अथ से इति तक अनुभवमूलक विधि से ही समझ में आता है। अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन होता है फलत: हर व्यक्ति स्वायत्त मानव, परिवार मानव, समाज व्यवस्था मानव के रूप में प्रमाणित होता है। यही

अनुभव परंपरा की गरिमा और महिमा है। इसी का फलन मानवापेक्षा और जीवनापेक्षा परिपूर्ति और तृप्ति व उसकी निरंतरता बन पाती है।

- ❖ हर परिवार मानव में मानवीयतापूर्ण आचरण ही समाज रचना और निर्वाह का सूत्र है।
- ❖ समाज रचना क्रम में ही परिवार रचना न्यूनतम आकार है।
- ❖ परिवार रचना के साथ ही व्यवस्था की आवश्यकता उद्भूत होना देखा गया है। व्यवस्था में जीना सर्वाधिक मानव का स्वीकृति है। व्यवस्था अपने में सह-अस्तित्व सहज है, इस तथ्य को भी स्पष्ट किया जा चुका है, यह जागृति का पहला प्रमाण है।
- ❖ परिवार व्यवस्था में जीना सहज होने के उपरान्त ही समग्र व्यवस्था में भागीदारी संभव हो जाता है, समीचीन हो जाता है। जागृतिपूर्णता का यही प्रमाण होना देखा गया है। समग्र व्यवस्था में भागीदारी का प्रमाण सहित अभिव्यक्ति, संप्रेषणा प्रकाशन ही कैवल्य होना देखा गया है।

1. व्यवस्था का प्रथम सोपान परिवार

- मानव कुल अपना सम्पूर्ण वैभव को प्रमाणित करने के रूप में **प्रथम सोपान परिवार** ही है।
- परिवार में जो कमी रह जाती है वह कहीं भी आपूर्ति नहीं हो पाती।
- परिवार में ही हर मानव शुद्ध रूप में अथवा संपूर्ण रूप में पहचान के योग्य है।
- परिवारजन परस्परता में जितने अच्छे तरीके से पहचान पाते है,
- परिवार के बाहर अथवा किसी दूसरे परिवार के व्यक्ति को उसके सम्पूर्ण आयाम कोण, दिशा, परिपेक्ष्यों, के संदर्भ में ध्यान देना स्पष्ट होना जटिल हो ही जाता है। इसलिए,
- हर मानव को अपने परिवार में जागृति का प्रमाण प्रस्तुत करना अभ्युदय का प्रमाण है। अभ्युदय का तात्पर्य भी सर्वतोमुखी समाधान से ही है। इस विधि से मानव इस बात पर अपने को विश्वास स्थली के रूप में पहचान सकता है कि परिवार में समझदारी से मानसिकता, मानसिकता से कार्य व्यवहार, कार्य व्यवहार से फल परिणाम, फल परिणाम से समाधान-समृद्धि प्रमाणित होने के अर्थ में परस्पर निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करना प्रत्येक परिवार सदस्यों से बन पाता है।
- इस क्रम में मानव अपने वैभव के सम्पूर्ण स्वरूप को स्पष्ट किया ही रहता है। यही **रहस्य मुक्त परिवार** है। सकारात्मक पक्ष में समाधान समृद्धि पूर्ण परिवार है और अभय, सहअस्तित्व को प्रमाणित करने योग्य परिवार है। इसे जागृत मानव परिवार के सौभाग्य के रूप में पहचानना हर व्यक्ति द्वारा जो अन्य जागृत पविार के सदस्य हैं सुगम हो जाता है इसे भली प्रकार से समझ चुके है। इसलिए विश्वास करते है कि हर मानव इसे समझते हुए अपने कार्य व्यवहारों को जागृति की कड़ी से जोड़ने का प्रयास एवं प्रमाण अवश्य ही करेंगे।

स्वायत्त मानव : परिवार मानव, समाज मानव और व्यवस्था मानव

- ऐसे स्वायत्त मानव ही परिवार मानव के रूप में प्रमाणित होना पाया जाता है।
- हर परिवार मानव परस्परता में सम्बन्धों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन और उभय तृप्ति को पाना देखा गया है।
- परिवार मानव ही परिवार सहज आवश्यकता के अनुसार अपनाया गया उत्पादन कार्य में एक दूसरे के पूरक होते हैं, भागीदारी का निर्वाह करते हैं, फलस्वरूप परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन होना देखा गया है। यही समृद्धि, समाधान, न्याय सूत्र होना देखा जाता है।
- परिवार में समाधान और समृद्धि सम्बन्धों के आधार पर पाये गये उभय तृप्ति सहज न्यायपूर्वक व्यवस्था में जीना सहज होता हुआ देखा गया है। इन्हीं सहजता की पुष्टि में आवश्यकता से अधिक उत्पादन समृद्धि को प्रमाणित कर देता है।
- व्यवस्था में जीना ही समाधान का प्रमाण है और वर्तमान में विश्वास है। अतएव, **स्वायत्त मानव** स्वरूप अनुभव मूलक होना देखा गया है।
- फलस्वरूप, **परिवार मानव, समाज मानव और व्यवस्था मानव** के रूप में होना नियति सहज अभ्युदय (सर्वतोमुखी समाधान) और प्रामाणिकता (अनुभव और पूर्ण जागृति) सहज मानव में सार्थक होना देखा गया है। (अनुभवात्मक अध्यात्मवाद)

परिवार सभा का स्वरूप :

समानता

- दस समझदार मानव, जिसमें हर नर-नारी सहअस्तित्व सहज समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी में समानता (है), जिसका अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन करने में समान अधिकार सम्पन्न (है वही) परिवार है।

समानता - समान कर्तव्य-दायित्व अधिकार

- शिक्षा-संस्कार कार्य-व्यवस्था,
- न्याय-सुरक्षा कार्य व्यवस्था,
- परस्परता में उत्पादन-कार्य व्यवस्था,
- आवश्यकता से अधिक उत्पादन-कार्य व्यवस्था,
- विनिमय कार्य व्यवस्था
- श्रम मूल्य के आधार पर लेन-देन रूप में विनिमय कार्य व्यवस्था,
- स्वास्थ्य-संयम कार्य व्यवस्था

सहज समान कर्तव्य-दायित्व अधिकार रहेगा।

परिवार में 10 कम व्यक्ति होने पर परिवार सभा का गठन

- यदि किसी परिवार में उस से कम व्यक्ति हैं तो वह अपने परिवार के निकटस्थ, अन्य परिवारों से मिलकर, एक परिवार सभा का गठन करेंगे। परिवार का प्रत्येक सदस्य युवा व वयस्क सम्मिलित रुप में परिवार सभा का गठन करेंगे। परिवार सभा के सब सदस्य संयुक्त रूप से एक सम्मति से व्यक्ति को समाधान समृद्धि सहित उपयोगिता के आधार पर परिवार समूह सभा के लिए निर्वाचित करेंगे। परिवार समूह सभा के लिए निर्वाचित करेंगे जो जीवन विद्या (ज्ञान-विवेक-विज्ञान) व वस्तुविद्या (उत्पादन कार्य में कुशलता-निपुणता) में सर्वाधिक पारंगत होंगे।
- इस प्रकार परिवारों के निर्वाचित दस समझदार सदस्य एक परिवार समूह सभा का गठन किया जायेगा। ऐसे प्रत्येक परिवार समूह सभा में से एक एक व्यक्ति को, ग्राम सभा के लिए निर्वाचित करेगा। इसी प्रकार परिवार समूहों से निर्वाचित सदस्य एक ग्राम सभा का गठन करेंगे, जिसमें सभी दस सदस्यों का समानाधिकार रहेगा। यह सभा में समझदार परिवार का संयुक्त वैभव रुप में रहेगा। सामान्यत: सौ परिवार मिलकर एक ग्राम स्वराज्य सभा गठन करेंगे। जिसमें निर्वाचित सदस्य होंगे। यदि किसी ग्राम में (एक सौ) परिवार से ज्यादा जनसंख्या है तो उसी के गुणांक में उस ग्राम सभा के सदस्य होंगे। उदाहरण के लिए यदि गाँव की जनसंख्या (दो हजार) है तो उस ग्राम सभा में सदस्य होंगे। **(मानवीय संविधान)**

परस्पर पहचान : पूरकता-उपयोगिता

- अस्तित्व में इकाइयों के होने का प्रमाण सर्वतोमुखी प्रतिबिम्ब है। परस्पर पहचान ही प्रक्रिया प्रमाण है। परस्परता में पहचान कार्य-व्यवहार का आधार है एवं प्रेरणा सहित कर्तव्य व दायित्व सूत्र व्याख्या है। पूरकता-उपयोगिता सहज प्रमाण है।
- नेत्रों में प्रतिबिंबित उद्घृत दृश्य स्थिति गति रूप में समाती है। जबकि बिंब का प्रतिबिंब भी आंखों में समाती है। गुण, स्वभाव, धर्म समझ में आता है। अध्ययन पूर्वक शोध विधि से समझ में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म समाया रहता है यही समझदारी है। **(मानवीय संविधान)**

परिवार में न्याय

- परिवार में सम्बन्धों की पहचान सहित मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन, परस्परता में तृप्ति न्याय है।
- परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन समृद्धि का प्रमाण न्याय है।
- समाधान-समृद्धि सम्पन्न व्यवस्था सहज प्रमाण न्याय है।
- जागृत मानव परिवार में समझदारी, ईमानदारी, भागीदारी सहज एकरूपता सामाजिक अखण्डता सूत्र है। यह समाधान व न्याय है।
- जिम्मेदारी, भागीदारी में निष्ठा सहज प्रमाण न्याय है।
- परिवार सहज व्यवस्था परंपरा का प्रमाण न्याय है।
- जागृत मानव परिवार में, से, के लिये एक सदस्य का समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के लिये निर्वाचित होना न्याय है।

- परिवार सहज व्यवहार व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए हर नर-नारी आत्मनिर्भर, स्वतंत्र, स्वयंस्फूर्त उत्साहित रहना न्याय है।
- परिवार व ग्राम सहज वैभव की पहचान बनाये रखना, आगन्तुकों की पहचान करना न्याय है। **(मानवीय संविधान)**

व्यवस्था प्रक्रिया :

परिवार सभा प्रक्रिया क्रम, परिवार प्रतिनिधि (जन प्रतिनिधि) प्रणाली हर परिवार में से एक सदस्य का निर्वाचन पद्धति दस सदस्यीय परिवार समूह सभा में, से, के लिए होगा। (मानवीय संविधान)

व्यक्तिवादिता उभर का कारण

भ्रमित संसार में भी हर व्यक्ति एक दूसरे की नसजाल को जानते ही है अथवा हर बात को पहचानते रहते है। भ्रमित मानव परिवार में हर व्यक्ति एक दूसरे के दोषो को भी पहचाने रहते है। ऐसे पहचानने के आधार पर एक दूसरे के प्रति विश्वास पूर्ण विधि नहीं बन पाती है। एक छत के तले अवश्य ही रहते है। इस दूभरता में घुटन बनी ही रहती है। परस्परता में अविश्वास बढ़ता जाता है। अविश्वास के कारण अपने अधिकारों को वस्तु केन्द्रित किये जाना एक विवशता बन जाती है। ऐसी विवशता एक दूसरे के बीच खाई का काम करती है। फलस्वरूप असन्तुष्टि का विस्तार होता ही जाता है। जितना ज्यादा असन्तुष्टि का विस्तार होता है उतना ही ज्यादा संग्रह-सुविधा पर स्वामित्व को पाने का प्रयत्न होना पाया जाता है। फलस्वरूप व्यक्तिवादिता उभर जाती है। परिवार में सुखी होने के लिए जीने की शुरूवात करते है। इसके विपरीत व्यक्तिवादिता में पहुँच जाते है यही संपूर्ण समस्या का कारण है।

अकेलेपन से मुक्ति परस्परता में विश्वास से

भ्रमवश अकेलापन सदा विरोध अथवा भय के स्वरूप में ही गण्य होता है। कहीं न कहीं मानव अतिरिक्त विश्वास के लिए तड़पता है चाहे जीव जानवर के साथ ही क्यों न हो। इसकी कोई चिन्हित पहचान नहीं हो पाती है इसलिए बारंबार विश्वास का आधार बदलता है। और बदलते बदलते थकना भी कहीं हो जाता है। पुन: किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ विश्वास सूत्र को जोड़ने का प्रयास भी करता है। मानव अपने में विरक्ति और भक्ति की मान्यता से साधनारत होना पाया जाता है। इसे कही अपने में सन्तुष्टि पाने के लिए साधना, अभ्यास, योग, चिन्तन, गायन, प्रार्थना, विलपने के क्रम में गुजर जाता है। गुजरते-गुजरते थक जाना भी होता है। कोई आशित घटना अर्थात मनोकामना सफल होने की स्थिति में सिद्धि हो गया है मान लेते है। न होने की स्थिति में ज्ञान हो गया मान लेते है। पुन: सर्वाधिक ऐसे साधक किसी मानव के साथ अपनी पहचान को स्थापित करने में प्रयत्नशील होते हैं। ऐसे प्रयास में कोई-कोई काफी भीड़ इकट्ठा करने में सफल हो जाते है, जितना बड़ा भीड़ उतना बड़ा सिद्ध अथवा ज्ञानी माने जाते है। ऐसे ज्ञानी और सिद्धों की सूची बड़ी होते हुए भी मानव परम्परा भ्रमजाल में यथावत बनी हुई ही है। क्योंकि सर्वमानव में समझदारी सुलभ हुई नहीं है। मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य का प्रमाण लोकव्यापीकरण हुआ नहीं है। यही मुख्य मुद्दा है इसी विफलता के आधार पर सर्वभौम व्यवस्था अखंड समाज बना नहीं है। यही संकट आज के लिए समस्त प्रकार की समस्या

का कारण है। इसी भ्रमवश हर मानव भय-प्रलोभन और समस्याओं के लिए स्रोत बना हुआ है। इससे छूटने से ही मानव कुल का कल्याण है।

परिवार ही प्रमाण, परिवार ही वैभव

सर्वशुभ का स्वरूप हर मानव परिवार में प्रत्येक नर-नारी समझदारी से सम्पन्न होना एवं समाधान समृद्धि को प्रमाणित करना है। इस विधि से समृद्धि व्यवस्था का परिणाम है। व्यवस्था पूर्वक श्रम नियोजन, श्रम नियोजन पूर्वक उत्पादन, उत्पादन के आधार पर समृद्ध होना देखा गया है। इसी प्रकार से हर परिवार को प्रमाणित होना आवश्यक है। पहले मंजिल के रूप में हर परिवार ही अपने वैभव का प्रमाण है। इसका स्वरूप समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, समाधान समृद्धि है।

2. व्यवस्था का द्वितीय सोपान परिवार समूह सभा

- इस क्रम से जीने, समझने, प्रमाणित होने के संयुक्त स्वरूप को परिवारमूलक स्वराज्य व्यवस्था नाम दिया है। व्यवस्था का द्वितीय सोपान परिवार समूह सभा है।
- इसमें 10 परिवार से निर्वाचित एक एक सदस्य एकत्रित होंगे। एक दूसरे की पहचान जागृत परिवार विधि से सम्पन्न रहती ही है। इनमें नर नारी एक परिवार होते हैं।
- इनमें प्रतिबद्धता का स्वरूप यही रहेगा 10 परिवारों में सन्तुलन को बनाए रखना। 10 परिवार में सन्तुलन का मतलब 10 परिवारों की परस्परता में न्याय पूर्वक जीने की कला को उज्जवल बनाना। 10 परिवारों की परस्परता में पूरकता को बनाए रखना। ये दो प्रधान कार्य हैं।
- इसी क्रम में 10 परिवार में हस्त शिल्प, ग्राम शिल्प, कविता साहित्य, चित्रकला कृषि एवम कुटीर उद्योग में प्रोत्साहन बनाए रखना है। इनमें ऐसी कलाओं के निखरने के लिए उपायों को सोचना, संयोजित करना यह कार्यक्रम रहेगा। इस प्रकार 10 परिवारों का सौभाग्य का निखार हर दिन, महीना, वर्ष, श्रेष्ठता की ओर शोध होना स्वाभाविक रहेगा। यह दूसरे सोपान का वैभव हुआ। इस प्रकार के कार्य के फलन में दसों परिवारों का संयुक्त देन बनी रहेगी। इसमें दसों व्यक्ति कार्यरत रहेंगे सोचेंगे। हर आयुवर्ग के लिए परिवार सूत्रों से सूत्रित रहने का कार्यक्रम बनाए रखेंगे। अपने अपने परिवार में समृद्धि के प्रमाण रूप में समाजगति के दूसरे सोपान सौभाग्य में भागीदारी करेंगे।
- दसों परिवार संस्कृति सभ्यता में एकरूपता को बनाए रखेंगे। कला और उत्पादन क्रियाओ के प्रोत्साहन से अपनी अपनी पहचान बनाए रखने में सतत स्वयंस्फूर्त विधि से सम्पन्न होते जायेंगे। इस स्वायत्ता को पहचानने के उपरान्त सम्मिलित व्यवस्था दस परिवार में समाधान, समृद्धि का अनुभव होना, प्रमाणित होना, गवाहित होना बन जाता है। यही परिवार समूह सभा का वैभव होना पाया जाता है। इस वैभव के साथ यह भी स्वयंस्फूर्त होता है इसकी विशालता की आवश्यकता है।

अधिकार (परिवार समूह सभा का अधिकार)

- सभा गठन सहज अधिकार।
- गठन में कार्यरत सम्बन्धों को पहचानने का अधिकार।
- आयु के अनुसार संबोधनाधिकार।
- गांव मोहल्ले में रहने वाले सभी परिवार मानव लक्ष्य को प्रमाणित करने में प्रोत्साहित करने का अधिकार।
- मार्ग दर्शन देने व पाने का अधिकार, परिवार न्याय को बनाये रखने में मार्गदर्शन करने, पाने का अधिकार।
- परिवार समूह सभा में हर दस परिवार जनों के द्वारा परिवार के लिये सर्व शुभ मार्गदर्शन का अधिकार।
- सर्व शुभ रूपी समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व में जागृति सहज प्रमाण के अर्थ में मार्ग दर्शन का अधिकार हर समझदार परिवार सभा में रहेगा।
- दस परिवार समूह सभाओं की गतिविधियों को परस्पर परीक्षण-निरीक्षण करने का अधिकार रहेगा।

परिवार समूह सभा में न्याय

- दस जागृत मानव परिवार में से निर्वाचित दस सदस्य के परिवार समूहसभा का गठन न्याय है।
- हर परिवारसमूहसभा कार्य कर्तव्य रत हर सदस्य आत्म निर्भर रहना न्याय है।
- दस परिवार सहज संस्कृतिसभ्यता, विधिव्यवस्था संबंधी पहचान किये रहना न्याय है।
- हर सदस्य दस परिवार में सम्बन्धों की सन्तुष्टि, समाधानसमृद्धि सहज प्रमाणों के प्रति जागृत रहना न्याय है।
- कोई आगन्तुक व्यक्ति गाँवमोहल्ले में होने का परिवारग्राममोहल्ला समितियों को पहचान करने का अधिकार न्याय है।
- हर सदस्य दसों परिवार के लोगों का समस्त उत्पादनविनिमयकार्य में जागरूकपूरक रहना न्याय है।
- हर सदस्य सभी परिवार जन का जागृत रहने में ध्यान देना, आवश्यकता के अनुसार पूरकउपयोगी होना न्याय है।
- हर सदस्य का निपुणताकुशलतापाण्डित्य में पारंगत रहना न्याय है।
- हर परिवार समूह सभा में से एकएक सदस्य का निर्वाचन ग्राममोहल्लापरिवार सभा गठन के लिये निश्चित करना न्याय है।
- ग्राममोहल्ला परिवार सभा में न्याय
- दस परिवार समूह सभा से निर्वाचित दस सदस्यों की सभा गठित होगी जिसका नाम ग्राम मोहल्ला परिवार सभा होगा। हर ग्राम मोहल्ला का नाम रहता ही है। यह समाधान व न्याय है।

द्वितीय स्थिति में एक परिवार समूह सभा (दस परिवारों में) अपने में मूल्यांकन करेगा जिसमें दस परिवारों में परस्पर सहमति होना आवश्यक रहता है।

कार्यकाल :

ग्राम सभा कम से कम चार वर्ष के लिए निर्वाचित होगी। हर चार वर्ष बाद परिवार व परिवार समूह सभा के लिए अपनेअपने प्रतिनिधि को फिर से निर्वाचित करने का अधिकार होगा। हर परिवार समूह सभा के दस सदस्यों को ग्राम सभा में फिर से निर्वाचनपूर्वक चुनने का अधिकार होगा।

समझदार परिवार समूह व परिवार सदस्य के कर्तव्य व दायित्व :

- परिवार सदस्य, सदस्यों के साथ व्यवहार, आचरण, स्वास्थ्य, उत्पादन व उत्पादन संबंधी साधनों के संदर्भ में स्वयं प्रामाणिक रहते हुए, उनके अनुरूप सभी सदस्यों को होने के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।
- परिवार प्रधान, परिवार के अन्य सदस्यों का मूल्यांकन करेंगे। परिवार प्रधान का मूल्यांकन, परिवार समूह सभा करेगा। आचरण के लिए मूल्यांकन का आधार स्वधन, स्वनारी/स्वपुरुष व दया पूर्ण कार्य रहेगा।
- व्यवहार के मूल्यांकन का आधार मानव व नैसर्गिक संबंधों व उनमें निहित मूल्यों की पहचान व निर्वाह से है।
- परिवार में किसी से गलती होने की स्थिति में सुधारने का कर्तव्य परिवार के सभी सदस्यों का होगा। इसमें परिवार प्रधान उभय पक्षीय प्रेरक का कार्य करेगा।
- परिवार संबंधी समस्त जानकारी, जिसके आधार पर परिवार के सदस्यों को शिक्षा-संस्कार, उत्पादन कार्य आदि में लगाना है, के लिए सभी तथ्यों को एकत्रित कर, ग्राम सभा को उपलब्ध कराने का कर्तव्य परिवार प्रधान का होगा। परिवार में यदि कोई व्यक्ति, किसी विशेष योग्यता, हस्तकला, हस्तशिल्प, कृषि व अन्य तकनीकी या साहित्य-कला में माहिर है, तो यह जानकारी भी ग्राम की संबंधित समिति को उपलब्ध कराएगा।
- परस्पर परिवारों के विवादों व उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण का दायित्व उन परिवार के प्रधानों व परिवार समूह सभा का होगा। परिवार समूह सभा द्वारा विवाद हल न होने की स्थिति में ही विवाद न्याय सुरक्षा समिति के पास जायेगा।

शिक्षा संस्कार समिति से सत्यापन

- मानवीय शिक्षा संस्कार सर्व सुलभ होने का कार्यक्रम, प्रमाणित होने में से के लिए सत्यापन।
- मानवीय शिक्षा का प्रमाण हर परिवार में वर्तमान होने का सत्यापन।
- हर परिवार समूह सभा सदस्य, निरीक्षण, परीक्षण विधि से सत्यापित करने का कार्यक्रम, ग्रामसभा में सत्यापनों की प्रस्तुति सहज कार्यक्रम।
- शिक्षा-संस्कार किसी परिवार में अपूर्ण रहने पर पूर्णता के लिए कार्यक्रम परिवार समूह सभा में निहित रहेगा। इसके लिए शिक्षासंस्कार समिति दायी होगा।

कार्यक्रम : जागृति सुलभता सहज घोषणा

हर जागृत मानव परिवार में शरीर सहज आयु अनुसार श्रम व कार्य करना, यह स्वयं स्फूर्त होना, स्वत्वस्वतंत्रताअधिकार के आधार पर है।

- शिशु काल तीन से पाँच वर्ष तक 3 से 5 वर्ष तक

• कौमार्य अवस्था पाँच से बारह वर्ष तक	5 से 12 वर्ष तक
• युवावस्था बारह से बीस वर्ष तक	12 से 20 वर्ष तक
• प्रौढ़ावस्था	20 से 30 वर्ष तक
• परिपक्वावस्था	30 से 70 वर्ष
• परिपक्वावस्था सत्तर वर्ष के अन्तर	70 वर्ष के अनन्तर वृद्धावस्था में निहित ज्ञान विवेक विज्ञान में भागीदारी में क्रमिक शिथिलता
• परिपक्वावस्था	परिपक्वता की यही पीढ़ी से पीढ़ी उन्नत होने का निरंतरता ही प्रेरणा स्रोत जागृत परंपरा के अर्थ परंपर में आयु आवश्यकता कर्तव्य घोषणा

शिशु काल में लालनपालन, पोषणसंरक्षण

लालन : शिशु में खुशियाली मुस्कान की अपेक्षा में किये गये भाषा-अभाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा, अंगहार रूपी उपक्रम।

पालन : स्वस्थता के लिए किया गया उपक्रम।

पोषण : शरीर भाषा संबोधनों को प्रमाणित करना।

संरक्षण : शारीरिक व मानसिक संतुलन संरक्षण।

शिशु काल से जागृति यात्रा घोषणा

- शिशु कालीन लालन-पालन, पोषण-संरक्षण कार्यों का दायित्व व कर्तव्य अभिभावकों का है।
- मानव सन्तान का लालन-पालन, पोषण-संरक्षण का कार्य अभिभावक का है। इस परंपरा में उत्सव, प्रसन्नता, खुशियाली है। शैशवकाल के अनंतर पड़ोसी बन्धुओं का मानव संस्कार पक्ष में दायित्व रहेगा।
- मानव में सभी सम्बन्धों में सम्बोधन सभी परिवारपरंपरा में प्रचलित है। इसे अखण्डता सहज प्रयोजन सार्थकता के अर्थ में प्रमाणित करना जागृति है।
- मानवत्व सहित व्यवस्था में जीना मानव परंपरा शिक्षा संस्कार सहित जागृति पूर्वक अपने सन्तानों को ज्ञान-विवेक-विज्ञान सम्पन्न बना सकते हैं, तद्अनुरूप संभाषण, अपेक्षानुरूप प्रमाण निर्देश सम्पन्न होना स्वभाविक है।
- सम्बन्धों का सम्बोधन, शिष्टता का दिशा निर्देशन सम्बोधन के साथ प्रयोजन भावभंगिमा, मुद्रा, अंगहार विधि से सन्तानों को निर्देशित करना हर अभिभावकों, पड़ोसी बन्धु, मित्रजनों का कर्तव्य-दायित्व होता है।
- शिशु कालीन शिक्षा, शिक्षा-संस्कार के दायी अभिभावक होंगे। जीते हुए के आधार पर स्वीकृति, जीने के आधार पर शिक्षा संस्कार सार्थक होता है।
- कौमार्य काल में ग्रामवासी, शिक्षा संस्था व अभिभावकों का संयुक्त रूप में जीने के आधार पर सफल बनाने का कर्तव्य-दायित्व रहेगा।
- युवावस्था में मानवीय शिक्षा-संस्कार को विद्यार्थियों मेंसेके लिये आचरण सहित प्रमाण रूप देना अनुभव प्रमाण सम्पन्न अध्यापकों में अनिवार्य रहेगा।

- हर मानव सन्तान युवकों के फलन के रूप में अनुभव प्रमाण सम्पन्नता फलित होना ही मानवीय शिक्षा संस्कार की सफलता है। इसका सत्यापन अभिभावक, विद्यार्थी करेंगे। अध्यापक दृष्टा पद में वैभव सम्पन्न होगा।
- हर नर-नारी का मानवीय शिक्षा संस्कार सम्पन्न रहना ग्राम, देश, धरती में मानव का वैभव है।
- जागृत मानव परंपरा में सम्पूर्ण मानव का अपने में सामाजिक अखण्डता और सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या में प्रमाण होना सहज है।
- जागृत मानव परंपरा में ही समाधान, समृद्धि,अभय, सहअस्तित्व प्रमाण सहित नियम, नियंत्रण, संतुलन समेत सर्व सुख-शान्ति सहज विधि से जीना होता है। यही स्वराज्य है।
- कम से कम सोलह अठ्ठारह अधिक से अधिक बीस वर्ष की अवस्था में श्रमसाध्य कार्यों को करने का दायित्वकर्तव्य होना आवश्यक है।
- प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपयोगिता मूल्य के अर्थ में श्रम-नियोजन फलस्वरुप समृद्धि सार्थक होना पाया जाता है।
- श्रमकार्य हर नरनारी में, से, के लिये स्वस्थता समृद्धि सेवा के लिए आवश्यक है।
- खेल, व्यायाम एवं श्रम स्वस्थ रहने का उपाय है। आवश्यकता व समय के अनुसार श्रम नियोजन हर ग्रामसभा, परिवार समूह सभा के निश्चित सामूहिक कार्य और परिवार से स्वीकृत होना भी रहेगा।

व्यवस्था प्रक्रिया :

- परिवार सभा प्रक्रिया क्रम, परिवार प्रतिनिधि (जन प्रतिनिधि) प्रणाली हर परिवार में से एक सदस्य का निर्वाचन पद्धति दस सदस्यीय परिवार समूह सभा में, से, के लिए होगा।

3. परिवार समूह सभा से ग्राम सभा

परिवार में परिवार समूह व्यवस्था की प्रवृति स्वयंस्फूर्त होती है। इसी प्रकार परिवार समूह सभा ग्राम परिवार की विशालता दस के गुणन में होते हुए ग्राम सौभाग्य को प्रमाणित करने का उद्देश्य बन जाता है। क्योंकि समूचे ग्राम में कम से कम 10 परिवार समूह सभा से निर्वाचित सदस्य होगी। दस परिवार सभा अपना सौभाग्य प्रमाणित किये रहना स्वाभाविक रहता है।

इन आधारों पर हर परिवार समूह सभा से एक एक व्यक्ति का निर्वाचन होना सहज हो जाता है। इस स्वयंस्फूर्त निर्वाचन से जन प्रतिनिधि अपने दायित्व, कर्तव्य से सम्पन्न, सजग प्रमाणित रहता ही है क्योंकि समझदार परिवार से ही जन प्रतिनिधि की उपलब्धि होना पाया जाता है। इसके हर परिवार के समझदार होने की व्यवस्था, लोक शिक्षा और शिक्षा विधि से, मानवीय शिक्षा का बोध कराने की व्यवस्था सुचालित रहेगी ही। इस प्रकार से तीसरे सोपान के लिए दस जनप्रतिनिधि परिवार समूह सभा से निर्वाचित होकर ग्राम सभा के लिए उपलब्ध रहेंगे।

इसके निर्वाचन की कालावधि को हर ग्राम सभा अपनी अनुकूलता के आधार पर अथवा सबकी अनुकूलता के आधार पर निर्णय लेगी। उस कालावधि तक मूलत: परिवार से निर्वाचित होकर परिवार समूह से निर्वाचित होकर ग्राम परिवार सभा कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए पहुँचे रहते है।

इनके लिए कोई मानदेय या वेतन स्वीकार नहीं होता है। क्योंकि हर परिवार समृद्ध रहता ही है। समाधान समद्धि के आधार पर ही जनप्रतिनिधि निर्वाचन होना पाया जाता है।

समझदारी और कर्माभ्यास

जब दसों जनप्रतिनिधि एकत्रित होते है ये सभी प्रतिनिधि हर कार्य करने योग्य रहते हैं। व्यवस्था कार्य में ऐसा कोई भाग नहीं रहेगा जिसे यह कर नहीं पायेंगे। दूसरा हर कार्य के लिए समय और प्रक्रिया को निर्धारित करने में समर्थ रहेंगे। इस शोध के आधार पर

- मानवीय शिक्षा- संस्कार में पारंगत जैसे एक गांव में प्राथमिक शिक्षा का आवश्यकता तो रहता ही है उसमें पारंगत रहेंगे।
- न्याय-सुरक्षा कार्य में पारंगत रहेंगे।
- उत्पादन-कार्य में पारंगत रहेंगे।
- विनिमय कार्य में पारंगत रहेंगे।
- स्वास्थ्य संयम कार्य में भी पारंगत रहेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य विधा में सभी पारंगत रहेंगे। हर समझदार परिवार में स्वास्थ्य-संयम विधा में सामान्य चिकित्सा ज्ञान, शरीर रचना ज्ञान, शरीर सन्तुलन का ज्ञान सम्पन्न रहता ही है।

इतना ज्ञान हर परिवार एवं जनप्रतिनिधि में रहता है। कर्माभ्यास किसी में कम ज्यादा हो सकता है। इस विधि से हर प्रतिनिधि की मानसिकता सबके साथ तालमेल बनाए रखने के सूत्र व्याख्या में निष्णात रहेंगे। अतएव उक्त पांचो विधाओ में कृत, कारित, अनुमोदित कार्यों का अधिकार सम्पन्न रहते हैं। यही मौलिक अधिकार है। यही मानव अधिकार का प्रशस्त स्वरूप है। प्रशस्त स्वरूप का तात्पर्य पीढ़ी से पीढ़ी प्रेरणा पाने योग्य क्रियाकलाप, मानसिकता, ज्ञान, विज्ञान, विवेक सम्पन्न समझदारी है। ऐसे समझदार जनप्रतिनिधि अब दस परिवार समूह सभा और कम से कम सौ परिवारों के सम्मिलित सौभाग्य को प्रमाणित करने के लिए निष्ठान्वित हो जाते है। इन सौ परिवार में संस्कृति सभ्यता की समानता को वैभव के रूप में मूल्यांकित करेंगे। जहाँ कही भी अर्थात किसी परिवार अथवा परिवार समूह सभा में किसी श्रेष्ठता की आवश्यकता होने पर ग्राम समूह सभा के दसो प्रतिनिधि प्रेरक हो जाते हैं फलस्वरूप वांछित श्रेष्ठता उदय हो ही जाती है। इस प्रकार श्रेष्ठता और श्रेष्ठता का सम्मान प्रणाली अपने आप गतिशील हो जाती है। हर प्रतिनिधि मानवीयता पूर्ण आचरण में निष्ठान्वित रहेंगे। हर स्थिति में मानवीयता पूर्ण आचरण को प्रमाणित किये रहेंगे। यही प्रधान सूत्र है।

शिक्षा- संस्कार

1. शिक्षा-संस्कार की मूल वस्तु अक्षर आरंभ से चलकर सहअस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान सम्पन्न होने तक क्रमिक शिक्षा पद्धति रहेगी। हर गाँव में प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान बना ही रहेगा। गाँव के हर नर-नारी समझदार होने के आधार पर स्वयंस्फूर्त विधि से प्राथमिक शिक्षा को सभी शिशुओ में अन्तस्थ करने का कार्य कोई भी कर पायेंगे। इस विधि से प्राथमिक शिक्षा के कार्य के लिए कोई अलग से वेतन या मानदेय की आवश्यकता नहीं रहती है। गाँव के हर नर-नारी शिक्षित करने का अधिकार सम्पन्न होगें।
2. दूसरे विधि से हर गाँव में प्राथमिक शिक्षा शाला के साथ हर अध्यापक के लिए एक निवास साथ में ग्राम शिल्प का एक कार्यशाला, हर अध्यापक के लिए 5-5 एकड़ की जमीन और 5-5 गाय की व्यवस्था रहेगी यह पूरे गाँव के संयोजन से सम्पन्न होगा। यह शाला, अभिभावक विद्याशाला के रूप में कार्यरत रहेगी। इस दोनो विधि से शिक्षा-संस्कार कार्य को पूरे गांव में उज्ज्वल बनाने का कार्यक्रम सम्पन्न होगा। मानवीय शिक्षा मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद पर आधारित रहेगी। शिक्षा सहअस्तित्व दर्शन जीवन ज्ञान के रूप में प्रतिपादित होगी। इस प्रकार हम एक अच्छी स्थिति को पायेंगे। जिससे सहअस्तित्ववादी मानसिकता बचपन से ही स्थापित होने की व्यवस्था रहेगी।

न्याय-सुरक्षा

व्यवस्था की दूसरी कड़ी में सुरक्षा कार्य सम्पन्न होंगे। इसमें ग्राम परिवार सभा के लिए निर्वाचित दसो सदस्य सुस्पष्ट ज्ञान सम्पन्न, विवेचना, विश्लेषण में पारंगत रहेंगे।

हर परिवार समझदार परिवार होने के आधार पर गलती और अपराध की कोई संभावना नहीं रहती।

फिर भी ऐसी कोई प्रवृति उदय होने से घटना तक पहुंचने के पहले सुधार होने की व्यवस्था रहेगी। ऐसी व्यवस्था का प्रभावशीलन परिवार से ही आरम्भ होकर परिवार समूह, ग्राम परिवार सभा में कार्यरत निष्णात व्यक्तिगण सुधार के दायी रहेंगे।

जो अनुचित है अनावश्यक है अथवा गलती अपराध है ऐसी मानसिकता को पहचानने का दायित्व सर्वप्रथम परिवार में उसके अनन्तर परिवार समूह सभा में और ग्राम परिवार में रहेगी। ग्राम के सम्पूर्ण सौ परिवार दायी रहेंगे। जैसे ही ऐसी मानसिकता देखने मिले तुरन्त सुधारने का कार्य करेंगे। और पूरा गाँव के सौ परिवारो का मूल्यांकन, वर्ष में एक बार अथवा छ: महीने में एक बार, आवश्यकता पड़ने से महीने में एक बार होना स्वाभाविक रहेगी। इसकी सुगमता हर दस परिवार के प्रतिनिधि करेंगे। हर परिवार अपना मूल्यांकन स्वयं करेगा। इन दोनो आधार पर ग्राम सभा अपना ध्यान देकर मूल्यांकन की घोषणा करेगा। इनमें से कोई भी परिवार में श्रेष्ठता की आवश्यकता होने पर अथवा परिवार समूह में श्रेष्ठता की आवश्यकता होने पर ग्राम सभा उसकी भरपाई करने का कार्य करेंगे। मूल्यांकन का ध्रुव बिन्दु समाधान, समृद्धि सम्पन्नता होगा। तीसरा बिन्दु उपकार कार्य में प्रवर्तन समाज गति के रूप में मूल्यांकित होगी।

व्यवस्था की तीसरी कड़ी उत्पादन कार्य है। इन उत्पादन कार्यों में कृषि, पशु पालन, ग्राम शिल्प, हस्त कला की प्रधान रूप में पहचान रहेगी। इसी के साथ ग्राम उद्योग की संभावना रहेगी। ग्रामोद्योग में ऊर्जा संतुलन कार्य रहेगा। यह स्थानीय परिस्थिति के साथ ग्राम सभा निर्णय करेगी। उत्पादन कार्यों की जितनी भी श्रेष्ठतम क्रिया प्रक्रिया तकनीकी होगी वह सभी परिवार में समावेश रहेगी। साथ में यह भी प्रावधान रहेगा कि किसी एक परिवार में स्वयंस्फूर्त श्रेष्ठता होने की स्थिति में समूचे?०० 'म्म् परिवार में सुलभ कराने की व्यवस्था ग्राम सभा में निहित रहेगी। हर परिवार अपने में आगे का कोई श्रेष्ठ कार्य करने में सफल होता है उसे तत्काल ग्राम सभा के आवगाहन में लाने की स्वतंत्रता रहेगी।

गोबर गैस, सूर्य उर्जा, वायुतरंग और कचरा गैस इन सब से ईधन और प्रकाश की व्यवस्था और तकनीकी सहज सुलभ रहेगी। ग्राम सभा के जन प्रतिनिधि इस बात को तय करेंगे गृह उद्योग, ग्राम शिल्प, स्थानीय सम्पदा के आधार पर क्या-क्या उद्योग हो सकते है इसकी सूची बनेगी। इसके लिए समुचित तकनीकी सुलभ कराने की व्यवस्था करेंगे। हर समझदार परिवार श्रेष्ठता और गतिशीलता के साथ जुटा रहेगा। इसलिये हर श्रेष्ठता, गतिशीलता के स्रोत ग्राह्य रहना स्वाभाविक रहेगा। आरम्भिक चरण में हर परिवार को समझदार बनाना प्रधान कार्य रहेगा। गाँव के हर व्यक्ति के लिए न्याय सुलभ होने में भरोसा न्याय पूर्वक जीने में विश्वास बना रहना ही ग्राम स्वराज्य सफल होने का बिन्दु है। इसी आधार पर हर परिवार में उत्पादन कार्य स्वीकृत रहता है ही। उनके लिए ग्राम सभा जो कुछ भी प्रस्तावित करेगी स्वीकृत होती रहेगी। ग्राम सभा अपने में निष्ठा बनाए रखेगी। बाजार में जो चीज जितने पैसे का मिलता है उतने पैसे में यदि गाँव में तैयार होता है तो गांव में तैयार करने का निर्णय लेगी। क्योंकि गॉव में एक व्यक्ति के समुचित उत्पादन का प्रावधान हो जाता है। इसी विधि से आहार आवास अलंकार सम्बंधी वस्तुओ के प्रति नजरिया रहेगी। इसके अनन्तर सम्पूर्ण महत्वाकांक्षी वस्तुएँ जैसे दूर दर्शन, दूर गमन, दूर श्रवण सम्बंधी वस्तुओ को सहज संभालने के लिए सम्पूर्ण कर्माभ्यास करने की व्यवस्था रहेगी। इसके अनन्तर इनसे किसी वस्तु को निर्मित करने की सम्भावना गाँव की परिस्थिति में होने के आधार पर उन-उन वस्तुओ को निर्मित करने का कार्यक्रम गाँव में सम्पन्न होगा। कृषि में बीज स्वायत्ता, उर्वरक स्वायत्तता, कीटनाशक औषधियों की स्वायत्तता, पानी की स्वायत्तता बनी रहेगी। पानी की स्वायत्तता क्रम में अति आधुनिक विधि से हम जो पाताली जल स्रोत उपयोग करने में सफल हो गये है, इसकी पूरकता की विधियों को सोचना आवश्यक है। अभी तक चली संग्रह सुविधावादी विधि से इस ओर ध्यान नहीं गया अथवा कारगर विधि से ध्यान नहीं गया। अब समझदार ग्राम स्वराज्य व्यवस्था का इस ओर ध्यान देना स्वाभाविक है। अस्तु पाताली जल स्रोत जितना हम उपयोग करते है कम से कम तीन गुना, 'यादा से 'यादा चार गुना वर्षाकालीन पानी को संग्रह कर रखने की व्यवस्था हर कृषक अपनी जमीन में बनाए रखेगा। जिसमें से कुछ भाग उड़ जाता है, कुछ भाग जमीन पी जाती है जो पाताल जल स्रोत बन जाती है जिससे पाताल जल तादाद बने रहने क ा सूत्रपात हो सके। जिससे धरती की सतह पर जो वन, वनस्पति शेष है वे सुरक्षित रह सके। क्योंकि पाताल जल स्रोत जितना नीचे चला जायेगा। धरती की सतह का जल और जल स्रोत सूखने की संभावना रहेगी। वर्तमान में सर्वाधिक नदी नाले, तालाब, सरोवर सूखा हुआ देखने को मिलता है। सतह में वन, वनस्पति और औषधि, वनोपज प्रचुर मात्रा में

होने के लिए धरती की सतह के ऊपर पानी सर्वाधिक रहना आवश्यक है। तभी नदी नाला किनारा, पुँ*आ, तालाब, सरोवर ये सब भी पानी से भरपूर दिखाई प$डेगे। जैसे ऋतु संतुलन और धरती के सन्तुलन की स्थिति में रहे आये हैं।

इस क्रम में हम अ'छी तरह से कृषि उत्पादन के साथ इमारती एवम जलाऊ लकड़ी का भी अपने खेतों में उपज लेना सहज है। हर समझदार कृषक को भूमि के सदुपयोग को अपनी पूरकता विधि से पहचानना बन जाता है। अतएव उत्पादन कार्य के सभी आयामों की संभावनाओं के आधार पर तकनीकी कर्म अभ्यास गाँव में स्थापित करने का अधिकार ग्राम सभा में बना रहेगा। कृषि के चारो स्वायत्ता के पक्ष हर ग्राम सभा सुलभ सार्थक बनाने का कार्य करेगी।

व्यवस्था की चौथी कड़ी हर परिवार में उत्पादन का एक कोष रहेगा। परिवार के उपयोग से अधिक जितने भी उत्पादन रहेंगे उनका विनिमय अड़ोंस-पड़ोंस में अर्थात ग्राम-समूह और ग्रामो में कर लेगी। इससे सामाग्री लाने और ले जाने की प्रक्रिया में काफी बचत हो जायेगी। जिससे ईंधन से लेकर श्रम तक, श्रम से लेकर यंत्रो तक बचत का प्रावधान है। इसे अ'छी तरह से समझदार परिवार का हर सदस्य समझ सकता है। परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन जितना भी रहेगा, वे सभी उत्पादनो को एक सम्मिलित कोष में एकत्रित किया जायेगा। यह कोष मूलत: वस्तुओं का ही कोष है। इसके साथ श्रम मूल्य का मूल्याँकन रहेगा। उसी के बराबर में हर गांव में कोषालयो के खाते में श्रम मूल्य के साथ प्रतीक मुद्रा का संख्या भी लिखकर रखी जायेगी। उसी के साथ हर परिवार को उसी ग्राम कोष से क्या-क्या वस्तुएँ समीचीन दिनो के लिए आवश्यक है वह सूची रहेगी। उसी कोष से अपेक्षित वस्तुओ को प्राप्त किया जायेगा। ग्राम विनिमय कोष से वस्तुएँ किसी दूसरे ग्राम कोष में जायेगी और दूसरी वाँछित वस्तुओं को लायेगी। तभी तक समीपस्थ बाजार में विक्रय कर आवश्यक वस्तुओ को क्रमवार लाने की व्यवस्था रहेगी। लाभ हानि मुक्त विधि से वस्तुओ को ग्राम के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहेगी। इसी विनिमय कोष के कार्यक्रम में सभी प्रकार की आहार संबंधी वस्तुएँ यथा सब्जी, दूध, अनाज वगैरह तो रहेगी ही; कलात्मक जितनी भी उपज है, कृषि औजार, भारवाहन का औजार, गृहनिर्माण में उपयोगी वस्तुएँ, अलंकार संबंधी सभी उपज को कोषालय में एकत्रित किया जायेगा। कोषालय से बाजार में दूसरा स्वराज्य कोषालय में ले जाने की, ले आने की व्यवस्था ग्राम स्वराज्य सभा में रहेगी।

व्यवस्था की पाँचवी कड़ी स्वास्थ्य-संयम का मतलब मानसिक रूप में संतुलित रहने का तौर तरीका, इसका धु्रव बिन्दु स्वस्थ मानसिकता को सटीक प्रमाणित करने के रूप में पहचाना जाता है। जहाँ कहीं भी असंतुलन दिखने पर उसको संतुलित करने की व्यवस्था रहेगी। इसमें वन औषधियो का, घरेलू औषधियों का और बनी हुई औषधियों का उपयोग करना रहेगा। साथ में स्थानीय रूप में मिलने े वाली औषधियों को निर्माण करने की व्यवस्था रहेगी। व्यायाम, आसन, प्राणायाम, खेल के रूप में सभी का स्वास्थ्य सन्तुलन की संभावना प्रावधानित रहेगा। उक्त प्रकार के पाँच कड़ियों के संचालन के लिए आवश्यक तंत्र के रूप में पाँच समितियों को मनोनीत किया जायेगा। यह अधिकार ग्राम सभा में निहित रहेगा। अब रहा समितियों में

संख्या का प्रश्न, यह स्थानीय सभा के विचाराधीन रहेगा। मनोनीत सदस्य स्वायत्त परिवार के हो सकते हैं। उपकार विधि से ही पूरा ग्राम स्वराज्य व्यवस्था सम्पादित रहना समझदारी का प्रमाण है। यही ग्राम स्वराज्य वैभव का तृतीय सोपान है।